खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

मो0 साजिद आलम बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी मो0 साजिद आलम उपस्थित।

13.07.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में
अवर सचिव श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद मो० साजिद आलम, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, रोसड़ा, समस्तीपुर के द्वारा बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलार्थी मो० साजिद आलम द्वारा प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के आलोक में संसूचित तीन (03) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के दण्ड के विरूद्ध अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा लगाये गये आरोप में शून्य कार्यालय दिवस के दौरान निरीक्षण के उपरांत जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह में कुल 46 लाभूकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना, 15 लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किया जाना एवं 67 विक्रेताओं के स्टॉक में अंतर पाये जाने का साक्ष्य सहित आरोप लगाया गया है। विभाग द्वारा दिये गये दंड में आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के जवाब में समीक्षा किया गया। समीक्षा में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा लाभार्थियों के मध्य नियमित रूप से राशन वितरण करने हेतु समय–समय पर जन प्रणाली विक्रेताओं को संपूर्ण सूचना एवं निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु इतने बड़े पैमाने पर लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न प्राप्त होना उनके पर्यवेक्षकीय कार्य में कमी को दिखाता है। यह भी पाया गया है कि जिन 67 विक्रेताओं के स्टॉक में अंतर है उसमें 17 मामले ऐसे हैं जिनमें स्टॉक का अंतर 10 किलो० से कम हैं, 12 मामले ऐसे हैं जिसमें स्टॉक का अंतर 20 किलो से कम है एवं 9 मामले ऐसे हैं जिनमें स्टॉक का अंतर 5 क्विंटल से अधिक हैं। इन सभी आरोपों पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद निरीक्षण का अभाव एवं पदीय दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करने का आरोप प्रमाणित माना गया।

उक्त प्रमाणित आरोप पर दिये गये दंड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन में अपीलार्थी द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सभी अनियमितताएँ इनके द्वारा स्वयं संज्ञान में लायी गयी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित भी किया गया है। जहाँ तक स्टॉक में अंतर के संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि मानवीय एवं तकनीकी जटिलता यथा–TPDS दुकान से कम अनाज मिलने के कारण, TPDS दुकान से

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान तक लेबर के द्वारा उठाव किये जाने के फलस्वरूप अनाज का क्षति होना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान में बोरी के बाहर रखे गये खाद्यान्न के अनुमानित गणना के कारण अधिकाशः मामलों में स्टॉक में मामूली अंतर पाया गया।

इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिन 9 मामले जिसमें 5 क्विंटल से अधिक के स्टॉक में अंतर पाये गये हैं उनमें से अधिक मामले इनके प्रभार ग्रहण के पूर्व में थे। इसके अलावा अपीलार्थी के द्वारा अल्प सेवा अवधि एवं प्रशिक्षण के अभाव के आधार पर दंड निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख में लगे साक्ष्य, विभाग के द्वारा दिये गये दंडादेश तथा अभ्यावेदन में वर्णित बिन्दुओं का परिशीलन किया गया। जहाँ तक स्टॉक में अंतर रहने का आरोप है, जन वितरण प्रणाली के गोदाम में खाद्यान्न की गणना में मानवीय एवं तकनीकी जटिलता है। खाद्यान्न की बोरी का वजन गोदाम के उठाव के समय ही 48–52 Kg तक भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप आरोपी पदाधिकारी द्वारा TPDS गोदाम द्वारा जारी किये गये ट्रक चालान की प्रति संलग्न की गयी जिसमें 4 बोरी का वजन/क्वींटल के बजाय 2 क्वीं 38 Kg है। चूँकि खाद्यान्न की गणना अनुमानित वजन पर आधारित होती है, सुक्ष्म अंतर आना स्वाभाविक है। उनके विरूद्ध दूसरा आरोप 67 विक्रेताओं के स्टॉक में अंतर का मामला है जो सही में एक गंभीर आरोप है। परन्तु इसके विषय में इनके द्वारा बताया गया कि उनमें 9 मामले ऐसे हैं जिनमें स्टॉक का अंतर 5 क्विंटल से अधिक हैं। इनमें पांच मामले उनके पदस्थापना काल के पूर्व के हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा यह जाँच स्वयं किया गया है। इसके अलावा प्रभार ग्रहण करने के पूर्व विभाग की ओर से इन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानों का अनुश्रवण/निरीक्षण, 'परख ऐप' से स्टॉक सत्यापन की तकनीकी प्रक्रियाओं अथवा प्रशासनिक नियमावली के संबंध में कोई औपचारिक प्रशिक्षण (Formal training) नहीं दिया गया था।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–27 (2) 'ग' को दृष्टिपथ पर रखते हुये आरोप के गंभीरता एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा दिये गये बचाव तथ्य के आलोक में समानुपातिक दंड के सिद्धांत के तहत् ज्ञापांक–3372 खाद्य, पटना/दिनांक–02.12.2025 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को सम्परिवर्तित करते हुए मो० साजिद आलम, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति रोसड़ा, समस्तीपुर को चेतवानी का दण्ड दिया जाता है तथा भविष्य में सचेष्ट रहने का हिदायत दी जाती है।

तदोपरांत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–III)– 4049 खाद्य, पटना / दिनांक–20/07/2026
प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण एवं रोसड़ा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मो0 साजिद आलम (बिहार आपूर्ति सेवा), आपूर्ति निरीक्षक, रोसड़ा, समस्तीपुर, E-Mail ID : msalam119@gmail.com, Mobile No. 8169332231 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/26

(अमित रंजन)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–III)– 4049 खाद्य, पटना / दिनांक–20/07/2026
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/7/26

सरकार के अवर सचिव ।